राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ–6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/15 जयपुर, दिनांक : 31–3–97

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं.2 में विनिर्दिष्ट अन्य राज्यों के परिवहन यानों और व्यक्तिकारी करार से परे/बिना अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के मामले में उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा, 1.4.97 से कर की दर विहित करती है :–

सारणी

क्र.सं.	परिवहन यान का वर्णन	कर की दर
1	2	3
1.	यात्री यान :	
(i)	ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 45 तक की सीट क्षमता के	प्रति सीट प्रति दिन 2.50 रु.
(ii)	ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 45 से अधिक की सीट क्षमता के	प्रति सीट प्रति दिन 1.50 रु.

टिप्पणी :

किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय–V के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर, जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं, संदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव